न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 149/2024 दायर दिनांक–03.09.2024

1. अनिल पुत्र हीरालाल
2. इन्द्रबाला पुत्री हीरालाल
3. ओमप्रकाश पुत्र धन्ना
4. कृष्ण पुत्र प्रहलाद
5. कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर
6. गीता देवी पत्नी स्व. रामास्त्र
7. जगदीश पुत्र भोमाराम
8. ताराचन्द पुत्र प्रहलाद
9. पूजा पुत्री रामेश्वर
10. बिमला देवी पत्नी प्रह्लाद
11. भगोती देवी पत्नी हीरालाल
12. मनोज पुत्र प्रहलाद
13. महेश पुत्र प्रहलाद
14. रणजीत पुत्र रामेश्वर
15. राजू पुत्र धन्ना
16. विकास कुमार पुत्र सीताराम
17. विधाधर पुत्र प्रहलाद
18. शिवराज पुत्र धन्ना
19. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर
20. सजना पुत्री रामेश्वर
21. सांवलमल पुत्र भोमाराम समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम खिरोड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

– वादीगण

बनाम

1. सुमन पुत्री रामेश्वर
2. सुमन पुत्री हीरालाल
3. सुशीला पुत्री रामेश्वर
4. सीता पुत्री रामेश्वर
5. चुन्नीलाल पुत्र मूलाराम
6. महाबीर पुत्र मूलाराम
7. सीताराम पुत्र मूलाराम
8. मदनलाल उर्फ नन्दलाल पुत्र भोमाराम
9. पिकी पुत्री हीरालाल
10. रामकरण पुत्र धन्ना (फौत)

10/1 गौरीशंकर पुत्र रामकरण
10/2 दीपक पुत्र रामकरण
10/3 सविता पुत्री रामकरण
10/4 पुजा पुत्री रामकरण
10/5 संतोष पत्नी रामकरण समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

11. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

—प्रतिवादीगण

वकील वादी :— श्री सज्जन कुमार चाहर
वकील प्रतिवादी :— श्री नेमीचंद डूडी

दावा बाबत घोषणार्थ व
रिकॉर्ड दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 441 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 1923, 1927, 1932, 1936 रकबा क्रमशः 0.1900, 0.1900, 0. 1500, 1.6600 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 है० स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भूमि हैं प्रतिवादी नं0 10 रामकरण फौत हो चुका है जिसके वारिस 10/1 लगायत 10/5 है व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 वी भाई सुण्डाराम पुत्र मूलाराम नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के भाई का राजस्व रिकॉर्ड में 1/12—1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व सुण्डाराम का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। सुण्डाराम की मृत्यु होने पर अविवाहित पर सुण्डाराम का 1/12 सुण्डाराम के नजदीकी वारिसो के नाम दर्ज होना चाहिए था प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 सुण्डाराम के नजदीकी वारिस है तथा सगे भाई है उसकी मों की मृत्यु पहले हो चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 का राजस्व रिकॉर्ड में 1/9—1/9 हिस्सा प्रत्येक का दर्ज किया जावें व मृतक सुण्डाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जावें जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 मदनलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल है परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 का सही व वास्तविक नाम नन्दलाल है जिसके सभी दस्तावेजो में नन्दलाल नाम दर्ज है प्रतिवादी संख्या का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा है इसलिए प्रतिवादी संख्या 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल के स्थान पर नन्दलाल दर्ज किया जावे जिसके लिए उका वाद सेवा में पेश है।

वाद पत्र की मंद संख्या में वर्णित भूमि शामलाती है जिसका अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय में विभाजन नही हुआ है बिना विभाजन हुये एक सह खातेदार अपनी भूमि का सही तरीके से विकास नही कर सकता है ना ही सरकारी सुविधाओं को भली भांति प्राप्त कर सकता है मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है इसलिए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए उक्त वाद बाबत विभाजन का श्रीमानजी की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी सख्या 11 लोक सेवक है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उक्त वाद अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए दो माह का नोटिस देकर वाद पेश किया जायेगा तो वादीगण को उक्त वाद पेश करने का कोई औचित्य नही रहेगा, इसलिए प्रतिवादी नं. 11 के विरूद्ध वाद पेश करने की अनुमति बाबतप्रार्थना पत्र अं धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से पेश किया जा रहा है।

विवादित काश्त की भूमि ग्राम खिरोड पटवार हल्का [illegible] सरहद में अवस्थित है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण श्री[illegible] प्राप्त है।

वादी वाद पेशकर श्रीमान से निम्न अनुतोष की माँग क[illegible] :— वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे कि राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 1[illegible] पुराना खाता संख्या 441 के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

भूमि खसरा नं० 1923, 1927, 1932, 1936 रकबा क्रमशः 0.1900, 0.1900, 0.1500, 1.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 10 फौत हो चुका है जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 है इसलिए उक्त राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी संख्या 10 का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को 1/9–1/9 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद पत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 मदनलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल है परन्तु प्रतिवादी संख्या 8 का सही व वास्तविक नाम नन्दलाल है जिसके सभी दस्तावेजो में नन्दलाल नाम दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 8 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मदनलाल के स्थान पर नन्दलाल दर्ज किया जावें जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 11 को तहरीर जारी की जावें।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य सही नाप जोख करके मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत विभाजन राजस्व मण्डल के दिशा निर्देशानुसार रास्ता कायम करते हुये किया जावें तथा विभाजन की डिक्री तहसीलदार नवलगढ़ को पालना हेतु भेजी जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 09 व 10/1 लगायत 10/5 की ओर से वकील श्री नेमीचंद डूडी ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 11 की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 09 व 10/1 लगायत 10/5 की ओर से जबाब दावा पेश नही करने पर तथा प्रतिवादी संख्या 11 की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु तारांचद व अनिल ने उपस्थित होकर चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील वादी उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 441 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 1923, 1927, 1932, 1936 रकबा क्रमशः 0.1900, 0.1900, 0.1500, 1.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक प्रतिवादी संख्या 10 के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी संख्या 8 का नाम मदनलाल के स्थान पर नन्दलाल राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 441 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 1923, 1927, 1932, 1936 रकबा क्रमशः 0.1900, 0.1900, 0.1500, 1.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक प्रतिवादी संख्या 10 के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 का नाम मदनलाल के स्थान पर नन्दलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। [illegible] को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री [illegible] निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व विभाजन

मुकदमा सं0:– 149/2024 **(अनिल बनाम सुमन आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके राजस्व ग्राम खिरोड़ पटवार हल्का खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में स्थित नई खाता संख्या 113 व पुराना खाता संख्या 441 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं० 1923, 1927, 1932, 1936 रकबा क्रमशः 0.1900, 0. 1900, 0.1500, 1.6600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.1900 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक प्रतिवादी संख्या 10 के स्थान पर उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 का नाम मदनलाल के स्थान पर नन्दलाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:56 IST
Reason: SelfAttested